

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

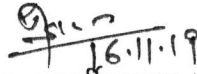
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2356 / 2019 दिनांक : 16.11.2019

श्री हरीवल्लभ खत्री (RJ0296), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर को दिनांक 25.11.2019 से 30.11.2019 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 23.11.2019 से 24.11.2019 एवं 01.12.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री खत्री की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

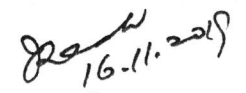

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/06/1997/ 10881

दिनांक : 16.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर को उनके पत्रांक 402 दिनांक 27.09.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री हरीवल्लभ खत्री (RJ0296), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, जालोर ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर ।


सहायक रजिस्ट्रार